प्रेस विज्ञप्ति
19/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मेसर्स भास्कर इंफ्राकॉन एलएलपी और मेसर्स कैसल हाइट की 4.80 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां झांसी (उप्र) और भोपाल (मप्र) में स्थित हैं और भूमि और भवन के रूप में हैं।

ईडी ने लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, लस्टिनेस जनहित क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एलजेसीसी), ऑप्शनोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बीएनएस, 2023 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना, ललितपुर में पंजीकृत एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की कि उपर्युक्त सहकारी समितियों ने अपने एजेंटों के माध्यम से सहकारी समिति में निवेश के लिए जनता को लालच दिया और उन्हें परिपक्वता पर विभिन्न योजनाओं में अपने निवेश पर उच्च रिटर्न पाने का आश्वासन दिया। उक्त कंपनियों/सहकारी समितियों ने एजेंटों के माध्यम से विभिन्न जमा योजनाओं जैसे आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना के नाम पर धन एकत्र किया, जो निवेशकों को लाने और समितियों में निवेश करने के लिए उच्च कमीशन लेते थे। कम्पनियों/सहकारी समितियों तथा उनके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों एवं एजेंटों ने लोगों के निवेशित धन को हड़प लिया है तथा उनके साथ धोखाधड़ी की है।

ईडी की जांच में पता चला है कि घोटाले की कार्यप्रणाली यानी एलयूसीसी और एलजेसीसी जैसी सहकारी समितियों ने निवेश के लिए आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना आदि जैसी आकर्षक योजनाएं/योजनाएं पेश कीं। उक्त सहकारी समितियों ने एजेंटों को नियुक्त किया और एजेंटों को निवेश लाने के लिए नकद, विदेश यात्रा, चार पहिया वाहन और कुछ अन्य प्रस्तावों में भारी कमीशन दिया गया। एजेंटों ने निवेशकों को उच्च रिटर्न या 4-5 वर्षों में निवेश को दोगुना करने और किसी भी बैंक की तुलना में अधिक ब्याज दर का लालच दिया। एजेंटों ने निवेशकों से नकद में पैसा एकत्र किया। निवेशकों को आरडी के लिए एक सावधि जमा प्रमाण पत्र/बांड या पासबुक दी गई, जिसमें उनकी निवेश की गई राशि, परिपक्वता राशि और निवेश की अवधि का उल्लेख किया गया था ताकि इन समितियों में जमा राशि को वास्तविक दिखाया जा सके। कुछ निवेशकों को 2021-22 से पहले भारी लाभ के साथ उनका पैसा वापस कर दिया गया ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके और इस तरह सहकारी समितियां और एजेंट अधिक लोगों को निवेश के लिए लाए। वे कई राज्यों के विभिन्न शहरों/कस्बों में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से काम करते थे। इन सहकारी समितियों ने अपने विश्वसनीय दल/एजेंटों के नेटवर्क के साथ मिलकर बहुत से लोगों को आकर्षक जमा योजनाओं/योजनाओं की पेशकश करके धोखा देने की योजना को अंजाम दिया और कुछ लोगों को एक अच्छी रकम लौटाकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। इस तरह, अधिक से अधिक लोगों ने उसके द्वारा नियंत्रित समितियों/कंपनियों द्वारा पेश की गई ऐसी योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया और अंत में वह निवेशकों को बिना भुगतान किए सम्पूर्ण राशि लेकर फरार हो गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने मेसर्स भास्कर इंफ्राकॉन एलएलपी को शामिल किया और इस फर्म के बैंक खातों से अवैध रूप से अर्जित धन को इस फर्म के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए भेजा ताकि फंड के स्रोत को छुपाया जा सके और वास्तविक मालिक को भी छुपाया जा सके। इस इकाई के नाम पर झांसी, उत्तर प्रदेश में संपत्तियां खरीदी गईं और इन संपत्तियों को बेचने के बाद, समीर अग्रवाल के निर्देशों के अनुसार बिक्री राशि को स्थानांतरित किया जा रहा था।

इसके अलावा, जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों में से एक व्यक्ति, जो 2009 से इन आरोपी सोसायटियों और कंपनियों में काम कर रहा था (इन फर्मों और सहकारी समितियों के एजेंट के रूप में और उसके द्वारा या उसके द्वारा आरोपी सहकारी समितियों और फर्मों के लिए बनाए गए एजेंटों के नेटवर्क द्वारा एकत्र किए गए धन पर भारी मात्रा में कमीशन का लाभार्थी), मेसर्स कैसल हाइट्स में 25% की भागीदारी रखता है, जो भोपाल में रियल एस्टेट ब्रोकिंग का काम करता है। इस फर्म द्वारा सीधे अपने नाम पर कई अचल संपत्तियां खरीदी गई पाई गईं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।